



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/T/21/00040

दिनांक: 15 June, 2021

**Shri Ravindra Kumar Kashyap,**  
L 3 487 Vineet Khand, Gomtinagar, Lucknow, Pin-226010,  
Uttar Pradesh

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।**

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 16 May, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

**श्री बी. अनंत शर्मा**

कार्यपालक निदेशक (सी. एम. जी.) एवं अपील प्राधिकारी  
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।  
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in  
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

  
(जसबीर सिंह) 15/06/21

**मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी**

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

**Sub.: Reply to RTI Query by Shri Ravindra Kumar Kashyap, Uttar Pradesh.**

<b>Query</b>	<p>Information is sought with respect to point no. 6 and 7 of enclosed RTI Application. The text is as follows:</p> <p>6) RPwD ACT 2016 के आर्टिकल 34 में जिस प्रारूप में केटेगरी C के तहत लोकोमोटर डिसेबिलिटी को चिन्हित करते हुए परिभाषित किया गया है, तथा भारत सरकार के कई मंत्रालयों / विभागों द्वारा ग्रुप A उन्हें जस का तस अंगीकृत करते हुए, पोस्ट चिन्हित की गई है (कृपया उपरोक्त बिंदु 1 एवम 2 का संज्ञान लें) व माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित आदेश का अनुपालन किया गया है, परंतु इसके विपरीत भारत सरकार के कई अन्य मंत्रालयों / विभागों के द्वारा (ग्रुप B कृपया बिंदु 3 का संज्ञान लें) द्वारा एक्ट में किये गए प्रावधानों / दिशानिर्देशों की अनदेखी व उनमें तोड़मरोड़ करते हुए भेदभावपूर्ण ढंग से (कृपया एक्ट के सेक्शन 20 डिस्क्रिमिनेशन का संज्ञान लें) Locomotor Disability को लैंगिक आधार ( OL,BL,BLA,OLA,OA इत्यादि) पर उप विभाजित करते हुए पदों को चिन्हित किया गया है , जिसमें लोकोमोटर बोथ लेग अफेक्टेड सहित LD का एक बड़ा वर्ग रोजगार के अवसरो से Deprived हो रहा है।</p> <p>कृपया सूचित करें की उपरोक्त बिंदु 1,2 में बताये गए मंत्रालयों / विभागों (Grp A) (जिन्होंने RPwD एक्ट की धारा 34 को जस का तस अंगीकृत करते हुए Post Identify किया है अथवा बिंदु 3 में बताये गए मंत्रालयों / विभागों (Grp B) (जिनके द्वारा लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हुए पद चिन्हित किये गए है ) में से किसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का RPwD एक्ट 2016 के सेक्शन 33 (ii) तथा 34 के तहत विधिवत अनुपालन किया गया है ।</p> <p>7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री अनुज गोयल की जनहित याचिका के संदर्भ में दिए गए प्रश्नगत उपरोक्त वर्णित निर्णय का अनुपालन (Grp A) के तहत आने वाले मंत्रालयों / विभागों द्वारा RPwD एक्ट 2016 के तहत किया गया है अथवा ग्रुप B के तहत आने वाले मंत्रालयों / विभागों द्वारा कृपया RTI आवेदन उपरोक्त बिंदुओं का संदर्भ लेते हुए सूचित करें ।</p>
<b>Reply</b>	<p>The query does not pertain to Power Grid Corporation of India Limited. However, it may be noted that Power Grid Corporation of India Ltd. has identified the list of posts for PwD in line with Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. The same is available on POWERGRID's website, and can be accessed through URL: <a href="https://www.powergrid.in/list-posts-identified-pwd">https://www.powergrid.in/list-posts-identified-pwd</a></p>